# Concessions and Financial Assistance to the Pharmaceuticals and Herbal Industries

## 5.4 औषधि एवं हर्बल उद्योग के लिए सहायता पैकेज

5.4.1. खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन इकाई का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिये इन्दौर में पूर्ण शक्तियों तथा अधिकारों से युक्त क्षेत्रीय कार्यालय क्रियाशील किया जाएगा।

5.4.2. औषधि उद्योगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य औषधि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य शासन, औषधि उद्योग/व्यवसायियों तथा चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

5.4.3. औषधि उद्योग में गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से गुड मेन्यूफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस (जी.एम.पी. ) प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तकनीकी सेवाओं में हुए व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1.00 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.4.4. राज्य में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु प्रयास किये जाएंगे।

5.4.5. लघु उद्योग श्रेणी की औषधि इकाईयों को नवीन मशीनरी एवं उपकरण स्थापित करने के फलस्वरूप विद्युत उच्चतम मांग की गणना में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण किया जाएगा।

5.4.6. स्टोर परचेस रूल्स के अंतर्गत खरीदी हेतु प्रदेश की औषधि उत्पादन की लघु उद्योग इकाईयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.4.7. प्रदेश औषधि उद्योग में तकनीकी उन्नयन तथा गुणवत्ता सुधार हेतु सिडबी की आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत ऋण सुविधा एवं क्रेडिट लिंक केपिटल सबसिडी स्कीम हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा।

5.4.8. औषधि एवं हर्बल उत्पादों के निर्माताओं को लायसेंसिंग एथारिटी एवं अन्य विभागों से त्वरित कार्यों हेतु इसकी विशेष व्यवस्था की जाएगी।

5.4.9. औषधि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.4.10. औषधि उत्पादों को अन्य देशों में लगने वाले पंजीयन शुल्क पर भारत शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश के उद्योगों को इसका लाभ मिल सके इस हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा।

5.4.11. हर्बल उद्योगों हेतु भोपाल, सागर में टेस्टिंग लेब केन्द्र शासन की योजनान्तर्गत स्थापित कराई जाएंगी। राज्य शासन द्वारा अपना अंश अधिकतम 25.00 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा।

5.4.12. निर्यात प्रोत्साहन हेतु हर्बल उद्योगों के लघु उद्यमियों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता आगामी 3 वर्षों तक उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 50.00 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया जाएगा।

5.4.13. निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के हर्बल उत्पादों को निर्यात करने हेतु उस देश में लगने वाले पंजीयन शुल्क की केन्द्र शासन द्वारा प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। यह योजना प्रथम तीन वर्ष के लिये होगी, जिसमें अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष लगभग 25.00 लाख रुपये होगा।

5.4.14. हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु संभागीय स्तर पर जैसे– रीवा, जबलपुर आदि के स्थलों पर राष्ट्रीय स्तर का मेला आयोजित किया जाएगा। जिससे उत्पादकों को सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा।

5.4.15. हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये जहां इन उद्योगों के विकास की अच्छी संभावनाएं है। वहां एकीकृत एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से ''हर्बल पार्क'' व ''डिमोन्सट्रेशन सेंटर'' विकसित किए जाएंगे।

5.4.16. प्रदेश में हर्बल व आयुर्वेद उत्पादों पर आधारित उद्योगों की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष प्रदेश के दो स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

5.4.17. औषधीय पौधों व जड़ी बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ एवं मध्यप्रदेश ट्रेड एवं फेसिलिटेशन कारपोरेशन के मध्य ''एम.ओ.यू.'' किया जाएगा।

5.4.18. हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग सामान्यतः अग्रणी जिलों में स्थापित होने की संभावना है जैसे कि इंदौर, भोपाल आदि अतः ऐसे सभी अग्रणी जिलों में स्थापित होने वाले हर्बल व आयुर्वेदिक उद्योगों को पिछड़ा जिला श्रेणी ''अ'' की तरह ब्याज अनुदान निवेश पर अनुदान, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जावेगी।

5.4.19. हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योगों का पूंजी निवेश यदि दस करोड़ रुपये से कम है किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक है, तो भी उद्योग संवर्धन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

5.4.20. प्रदेश में स्थापित/विकसित होने वाले हर्बल पार्क एवं हर्बल व आयुर्वेद आधारित उद्योगों हेतु राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना एफ क्रमांक 28–38–01 सोलह ब(प), ब(पप), ब(पपप), ब(पअ), ब(अ) दिनांक 19.5.03 के अतंर्गत स्पेशल इकॉनामिक जोन हेतु घोषित श्रम कानूनों संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

5.4.21. हर्बल व आयुर्वेद आधारित उद्योगों को फर्म के नाम परिवर्तन, पार्टनर जोड़ने, कोलेब्रेशन करने, पुनर्गठन करने लीजडीड में संशोधन होने पर लगने वाली स्टाम्प व पंचायत शुल्क तथा ऋण लेने हेतु वित्तीय संस्थाओं से अनुबंध करने हेतु लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में 3 वर्ष के लिये छूट दी जाएगी।

**(कंडिका क्रमांक 5.4.3)**

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20–39/04/बी/ग्यारह                    भोपाल, दिनांक 24.05.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः–उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना का बिन्दु क्रमांक 5.4.3– गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना (केवल हर्बल एवं औषधि उद्योगों के लिए)

––0––

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक 5.4.3 में लिए गए निर्णय अनुसार केवल औषधि एवं हर्बल उद्योगों के लिए गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2. कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित् करने का कष्ट करे।

3. वित्त विभाग ने यूओ क्रमांक 272/आर–556/ब–2, दिनांक 02.04.2005 द्वारा योजना पर सहमति प्रदान की है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क्रमांक एफ 20–71 / 04 / बी / ग्यारह                                   भोपाल, दिनांक 24.05.2005

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित करने हेतु।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल।
5. प्रबंध संचालक,.एम.पी ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 लिमि. भोपाल।
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

हस्ता /
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

## गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना (केवल औषधि एवं हर्बल उद्योगों के लिए)

01 जनवरी, 2004 से देश में सभी औषधि उद्योगों को शड्यूल के अनुसार अपने उद्योगों मे अधोसंरचना तथा निर्माण प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है इसमें उद्योगों कों भारी निवेश करना आवश्यक हो गया है।

1. उद्देश्य :–

प्रदेश के औषधि एवं हर्बल उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा कर, निर्यात कर सके इस हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये यह योजना लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन Good manufacturing Practices प्रमाण पत्र प्राप्त करने से उद्योगों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करना है।

2 योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता :–

प्रदेश की जिन औषधि एवं हर्बल इकाईयों द्वारा 01.04.2004 के पश्चात् विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्ड के अनुरूप (गुड मेन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस) प्रमाण–पत्र नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्राप्त किया जायेगा। वह इस योजना के अंतर्गत केवल लघु उद्योग इकाईयां पात्र होंगी। इकाईयों द्वारा इस प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने में निम्न मदों पर हुए व्यय मान्य होंगे :–

1. तकनीकी सलाह सेवा लेने पर हुआ व्यय
2. प्राप्त सलाह/सेवा अनुसार उपकरण केलीब्रेशन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्रय किये गये उपकरणों पर हुआ व्यय।
3. फार्माकोपिया जैसे IP/BP/USP क्रय पर हुआ व्यय।
4. कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण पर हुआ व्यय।

उपरोक्त मदों में किये गये कुल व्यय पर 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम एक लाख रूपया जो भी कम हो, की पात्रता होगी।

**3. पात्रता व शर्तें :–**

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्डों के अनूरूप Good manufacturing Practices [WHO-GMP] प्रमाण–पत्र होने के एक वर्ष के अन्दर आवेदन निर्धारित प्रारूप में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं रोजगार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

2. ड्रग लाइसेंस वैध होना चाहिये।

3. प्रदेश की जिन इकाईयों द्वारा 01.04.2004 के पश्चात् WHO-GMP (गुड मेन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस) प्रमाण–पत्र नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्राप्त किया जायेगा। वह इस योजना के अंतर्गत पात्र होगी।

4. इकाई जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से लघु उद्योग के रूप में स्थायी पंजीकृत होनी चाहिये।

**4. आवश्यक दस्तावेज :–**

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. WHO-GMP प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. व्यय के संबंध में चार्टर्ड एकॉउटेंट के प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
3. उद्योग विभाग के स्थायी पंजयीन प्रमाण–पत्र की प्रति।
4. वैध ड्रग लाइसेंस की प्रति।
5. विभिन्न मदों में हुए व्यय की रसीदों की प्रति।

**5. अनुदान स्वीकृति की प्रकिया :–**

आवेदक इकाई निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त दस्तावेजों सहित महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग एवं रोजगार केन्द को आवेदन प्रस्तुत करेगी। प्राप्त आवेदन का परीक्षण जिला व्यापार उद्योग एवं रोजगार केन्द्र द्वारा तीन कार्य दिवसों में किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन महाप्रबंधक/प्रबंधक/सहायक प्रबंधक द्वारा इकाई को आगामी सात कार्य दिवसों में एक निश्चित् दिनांक को अवगत कराया जायेगा। निश्चित् दिनांक को इकाई के स्वामी/भागीदारी/प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर महाप्रबंधक द्वारा तीन कार्य दिवसों में प्रकरण पर स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय किया जाकर तद्नुसार इकाई को अवगत कराया जायेगा। प्रकरण अस्वीकृत होने की दशा में संबंधित उद्योग को कारण सहित अवगत कराना आवश्यक होगा।

महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत राशि की मांग तत्काल उद्योग संचालनालय, म0प्र0 से की जावेगी तथा बजट प्राप्त होने पर प्रथम स्वीकृत इकाई को प्रथमतः राशि का आवंटन आहरण कर दिया जायेगा।

**6. स्वीकृतकर्ता अधिकारी :–**

संबंधित जिले का महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

## // गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन पत्र //
## (केवल औषधि एवं हर्बल उद्योगों के लिए)

1. इकाई का नाम
   पता
   दूरभाष
   फैक्स
   ई–मेल
2. इकाई के स्वामी/भागीदारी/संचालक का नाम व निवास का पता........................ ..................................................................................................निवास का दूरभाष..................
3. ड्रग लाईसेंस का क्रमांक दिनांक..............................................................................
4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का स्थायी पंजीयन क्रमांक व दिनांक....................
5. WHO-GMP प्रमाण–पत्र का क्रमांक व दिनांक .......................................... ...........
6. चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार कुल प्रमाणित व्यय (प्रत्येक मद में पृथक–पृथक दर्शावें)
7. प्रतिपूर्ति हेतु मांग की गई राशि रूपये (अंकों एवं शब्दों में)

## //घोषणा–पत्र//

मैं शपथपूर्वक घोषण करता हूॅ कि उपरोक्त प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। उपरोक्त जानकारी में यदि किसी प्रकार की असत्य/अप्रमाणिकता पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा तथा प्राप्त राशि को वापस महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग एवं रोजगार केन्द्र में जमा करने हेतु बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर................................
नाम......................................
पदनाम.................................
कार्यालय सील

स्थान ......................
दिनांक.....................

## (कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के उपयोग हेतु)

1. निरीक्षणकर्ता सहायक प्रबंधक/प्रबंधक का नाम :–
2. निरीक्षणकर्ता अधिकारी का प्रतिवेदन तथा अनुशंसा ..................................................

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी